न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमों (तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(ख) के अंतर्गत

परमिशन वाद संख्या 289 वर्ष 2022

आवेदक– दयालचन्द महतो उर्फ मनस महतो		क्रेता– लीलचन्द महतो एवं अन्य	
ग्राम – नर्रा	टोला–हरलाटाँड	ग्राम – फतेहपुर	टोला–कोरकोटा
थाना – चन्द्रपुरा	जिला–बोकारो	थाना – चन्द्रपुरा	जिला– बोकारो

आदेश की क्र0 सं0 एवं तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ। 03
24/07/23		C.C. Issued 07/08/23

आदेश

यह वाद आवेदक– दयालचन्द महतो उर्फ मनस महतो पिता स्व0 गंदोरी महतो निवासी ग्राम नर्रा टोला–हरलाटाँड थाना–चन्द्रपुरा जिला –बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवत:–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
नर्रा	89	115	33	0.21 ए0,	0.09¼ ए0	धान खेत
			40	0.40 ए0	0.13 ए0	धान खेत
	कुल योग				0.22 ¼ ए0	

को वे अपना आवश्यक घरेलू खर्च हेतु मो0 2,90,000/– (दो लाख नब्बे हजार) रूपये में क्रेता– 01. लीलचन्द महतो 02. जगदीश महतो दोनों पिता चिन्तामणी महतो निवासी ग्राम फतेहपुर टोला–कोरकोटा थाना–चन्द्रपुरा जिला– बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत किया गया तथा इस कार्यालय के पत्रांक 1079/रा0 दिनांक 19.11.2022 के माध्यम से अंचल अधिकारी, चन्द्रपुरा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, चन्द्रपुरा के पत्रांक 503 दिनांक 01.07.2023 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:–

01. बिक्रेता एवं क्रेता कुर्मी जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता ग्राम नर्रा टोला–हरलाटाँड थाना–चन्द्रपुरा का एवं क्रेता ग्राम फतेहपुर टोला–कोरकोटा थाना–चन्द्रपुरा जिला–बोकारो का निवासी है।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि मौजा ग्राम–नर्रा खाता न0 115 सर्वे खतियान में बिक्रेता के दादा बुधन कुर्मी एवं अन्य के नाम से दर्ज है तथा उसकी जमाबन्दी भी पंजी–II के पृष्ठ सं0 55/3 पर खतियानी रैयत के नाम से चल रही है तथा वर्ष 2022–23 तक लगान रसीद निर्गत है।
03. घरेलू बँटवारा के अनुसार बिक्री वाली जमीन बिक्रेता के अंश की है।
04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, अधिग्रहण क्षेत्र, से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता दयालचन्द महतो उर्फ मनस महतो के द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन उनके दादा बुधन कुर्मी वेगै0 के नाम सर्वे खतियानी जमीन है तथा जमाबन्दी भी उन्हीं के नाम चल रही है। बिक्री की जाने

वाली जमीन उनके हिस्से की है जिसे वे आवश्यकता वश क्रेता के साथ बिक्री कर रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखा है। उक्त जमीन विवादित नहीं है, तथा वर्तमान में बिक्रेता के दखल कब्जे में है।

उभय पक्षों के द्वारां निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है:—

01. बिक्रेता—बुधन कुर्मी वेगै0 के नाम सर्वे खतियान, सरकारी लगान रसीद एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

02. क्रेता के द्वारा स्वयं के नाम जाति/आवासीय प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड की छायाप्रति

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी चन्द्रपुरा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनों कुर्मी जाति के सदस्य हैं, जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं तथा एक ही थाना एवं जिला के अंतर्गत निवास करने वाले हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के पूर्वज के नाम खतियानी एवं उसके हिस्से की जमीन है, जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे है।

अतः आवेदक— दयालचन्द महतो उर्फ मनस महतो पिता स्व0 गंदोरी महतो निवासी ग्राम नर्रा टोला—हरलाटाँड थाना—चन्द्रपुरा, जिला— बोकारो को निम्नांकित भूमि :—

मौजा	खाता न0	प्लॉट न 0	कुल रकबा	बिकी रकबा	उत्तर सीमा	दक्षिण सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
नर्रा 89	115	33	0.21 ए0	0.09¼ ए0	भगतु चौधरी	नीज बिक्रेता	मिलु महतो	नीज क्रेतागण एवं असगर मियाँ
		40	0.40 ए0	0.13 ए0	भगतु चौधरी	रूपलाल चौधरी	इसी प्लॉट का अंश	भगन महतो
	कुल योग			**0.22¼ ए0**	**बाईस पूर्णांक एक बटा चार डीस्मिल मात्र**			

को मो0 2,90,000/— (दो लाख नब्बे हजार) रूपए या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता— लीलचन्द महतो 02. जगदीश महतो दोनों पिता चिन्तामणी महतो निवासी ग्राम फतेहपुर टोला—कोरकोटा थाना —चन्द्रपुरा जिला —बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

Digitally signed by SADANAND MAHTO
Date: 2024.09.09 11:44:33 +05:30
Location: 192.168.1.3